| ख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>प्रकरण संख्या :– 41/2022<br>प्रेम कुमार वगै0 बनाम भूमि अधिकारी<br>प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10/7/25 | पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने इस आशय का पेश किया कि जमीन हाल खसरा नं. 26 रकबा 0.82 हैक्टर जिसके गत खसरा नं. 493 रकबा 3 बीघा 5 बिश्वा रहे है, के आवेदकगण खातेदार काश्तकार है। आवेदकगण की जमीन हाल खसरा नं. 26 गत खसरा नं. 493 की पूर्वी सीमा पर जमीन हाल खसरा नं. 29, 30 स्थित है जिसके गत खसरा नं. 494 रहे है। आवेदकगण की जमीन गत खसरा नं. 493 व आवेदकगण के खेत की पूर्व में स्थित जमीन गत खसरा नं. 494 की गत नक्शा शीट सन् 1936–37 में कायम हुई थी। उपरोत गत खसरा नं. 493, 494 की सैटलमेंट के दौरान वर्तमान नक्शा शीट सन् 1992–1993 में कायम हुई थी। दौराने सैटलमेंट राजस्व कर्मचारियों ने भूमि हाल खसरा नं. 26 जो गत खसरा नं. 493 से कायम हुये की वर्तमान नक्शा शीट गत नक्शा शीट के मुताबिक माप में तैयार नही कर गत खसरा नं. 493 (हाल खसरा नं 26) की पूर्वी सीमा पर वर्तमान नक्शा शीट में पूर्वी सीमा रेखांकन उक्त खेत हाल खसरा नं 26 (गत खसरा नं. 493) की पूर्वी सीमा से करीब 1–2 मिलीमीटर अंदर सीमा रेखांकन कायम कर वर्तमान नक्शा शीट में सीमा रेखांकन कर आवेदकगण के खेत खसरा नं. 26 की वर्तमान नक्शा शीट नक्शे में कम क्षेत्रफल की कायम कर लिपिकिय त्रुटि कारित की गई है, जो काबिले दुरूस्ती है।<br>दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वर्तमान नक्शा शीट के अनुसार पूर्वी दिशा में करीब 1–2 मिलीमीटर/12 से 24 फुट जमीन पूर्वी सीमा के बाहर आवेदकगण की स्थित है। सैटलमेन्ट विभाग को दौराने सैटलमेन्ट पुराने राजस्व रिंकार्ड की पुनरावृति मय समस्त परिवर्तन की प्रविष्ठी से नया राजस्व रिकार्ड कायम करना होता है। सैटलमेन्ट विभाग को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकार्ड (नक्शा शीट) को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था।<br>बहस वकील प्रार्थीगण सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा तहसीलदार रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीदार ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण के खसरा नम्बर की पुरानी व वर्तमान नक्शा सीट में अंतर होना अंकित किया है। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।<br>–: आदेश :–<br>प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम अशोक नगर तहसील व जिला झुंझुनूं के हाल भूमि खसरा नम्बर 26 जिसके गत खसरा नं. 493 की वर्तमान नक्शा सीट मुताबिक संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगी। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।<br>निर्णय आज दिनांक 10/7/25 को खुले इजलास सुनाया गया।<br>(हस्ताक्षर)<br>(हवाई सिंह यादव) 10/7/25<br>उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं<br>उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं (राज.) | |